

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2019

विषय: उ०प्र० इनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड (यूपी ई.सी.बी.सी. कोड) 2018 की अधिसूचना के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० शासन द्वारा अर्द्ध०शा००५०सं०-1326/87-अति०ऊ०स्रो०वि०/2018 दिनांक 09.08.2018 के माध्यम से उ०प्र० इनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड (यूपी ई.सी.बी.सी. कोड) 2018 की अधिसूचना को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में अंगीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) के प्रस्तर-3.11.9 के वर्तमान प्राविधानों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	प्रस्तर	प्रस्तावित प्राविधान
3.11.9	सरकारी संस्थानों/ अर्द्धसरकारी संस्थानों/ सरकारी स्वैच्छिक संस्थान/ सहायता प्राप्त संस्थान / प्रतिष्ठान तथा 5000 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के कार्यालय, हाउसिंग एवं कामर्शियल काम्प्लेक्स व अन्य भवनों में रूफटाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफटाप एरिया पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।	3.11.9(I)	उ.प्र. ई.सी.बी.सी. कोड, 2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) से आच्छादित भवनों या भवन परिसरों में भवनों की छतों पर विद्युत उत्पादन हेतु भवन की पीक विद्युत मांग का 1 प्रतिशत क्षमता अथवा छत क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत क्षेत्रफल, जो भी कम हो पर रिन्यूवेबल इनर्जी जेनरेशन जोन/सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा।
		3.11.9(II)	निम्न भवनों या भवन परिसरों में अधिसूचना संख्या-1198/87-अति.ऊ.स्रो.वि./2018, दिनांक 26.07.2018 के माध्यम से अधिसूचित यूपी ई.सी.बी.सी. कोड, 2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) की अपेक्षाओं का पालन किया जाना अनिवार्य होगा जिनका : (अ) संयोजित विद्युत अधिभार 100 कि.वा. या उससे अधिक हो, अथवा (ब) कान्ट्रेवट डिमाण्ड 120 के.वी.ए. या उससे अधिक हो, अथवा (स) भवन का भूखण्ड क्षेत्रफल 1000 वर्गमी. से

		<p>अधिक एवं जिसके साथ निर्मित क्षेत्रफल न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर (तलघर छोड़कर) हो, निजी आवासीय भवनों में उक्त कोड लागू नहीं होगा। स्पष्टीकरण-ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले फ्लैट्स (आवासीय ईकाईयाँ) यदि निजी आवासीय प्रयोजन हेतु प्रयोग किये जाते हैं, तो इन भवनों पर यूपी ई.सी.वी.सी. कोड-2018 लागू नहीं होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत भवन का वह भाग जिसका उपयोग वाणिज्यिक (कामर्शियल) हो तथा वह भाग यूपी ई.सी.वी.सी. कोड-2018 के अनुच्छेद-2 में वर्णित कार्यक्षेत्र (संयोजित विद्युत भार 100 कि.वाट व अधिक अथवा कान्ट्रेक्ट डिमांड 120 केवीए या अधिक अथवा प्लॉट क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर से अधिक, जिसमें वेसमेंट छोड़कर न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर हो) से आच्छादित हो, पर यूपी ई.सी.वी.सी. कोड-2018 लागू होना प्राविधानित है।</p>
--	--	--

कृपया उक्त के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन को उनके अर्द्ध.शा.प.सं.-1326 /87-अति०ऊ०स्रो०वि० /2018 दिनांक 09.08.2018 के क्रम में।
2. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन हेतु आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से प्रेषित कि परिषद बोर्ड में उक्त संशोधन पर विचार कर अंगीकार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धित को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) की प्रतियाँ उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ✓ 4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. सलाहकार नियोजन, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।